Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 180-2017/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, OCTOBER 13, 2017 (ASVINA 20, 1939 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 13 अक्तूबर, 2017

संख्या 104/एसटी–2.– हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 36/एस.टी.–2, दिनांक 30 जून 2017, में आगे निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:–

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 36/एसटी–2, दिनांक 30 जून 2017, में, अनुसूची में,–

(क) (i) क्रम संख्या 122 और उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित कम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:–

"122क	4907	डयूटी क्रेडिट स्क्रिप्स";

(ii) क्रम संख्या 149 और इसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित कम संख्या और प्रविष्टियां, रखी जाएंगी, अर्थात्:–

"150	–	केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या स्थानीय निकाय, जैसी भी स्थिति हो, से अनुदान के रूप में प्राप्त प्रतिफल के एवज में, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या स्थानीय निकाय या ऐसे किसी व्यक्ति, जिसे केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या स्थानीय निकाय द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो, को किसी सरकारी संस्था द्वारा की जाने वाली वस्तुओं की आपूर्ति।"

(ख) स्पष्टीकरण में, खंड (iv) के बाद, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(v) वाक्य "सरकारी संस्था" से अभिप्राय होगा, किसी ऐसे प्राधिकरण या बोर्ड या किसी अन्य निकाय जिसमें सोसायटी, ट्रस्ट, निगम भी आते हैं, जोकि:

(क) संसद या राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित

(ख) किसी सरकार द्वारा स्थापित

और जिसमें साम्या या नियंत्रण के माध्यम से नब्बे प्रतिशत या इससे अधिक की भागीदारी हो और जिसका काम केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा सौंपे गए कार्यो को पूरा करना है ।

(ग) अनुबंध I में, (ख) में,—

(i) अन्त में, विद्यमान "।" चिह्न के स्थान पर, ":" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) अन्त में, निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु, यदि ब्राण्ड नेम पर अनुयोज्य दावा या प्रवर्तनीय अधिकार रखने वाला व्यक्ति और यूनिट कंटेनरों में ऐसे माल को पैक करने वाले दो अलग—अलग व्यक्ति है तो वह व्यक्ति जो कि ब्राण्ड नेम पर दावा कर सकता है या जिसका प्रवर्तनीय अधिकार है ऐसे माल की पैकिंग करने वाले व्यक्ति के क्षेत्राधिकार वाले राज्य कर आयुक्त के पास इस आशय का शपथ—पत्र दायर करेगा कि वह स्पष्टीकरण (ii) (क) में यथा परिभाषित ऐसे ब्राण्ड नेम पर अपने अनुयोज्य दावे या प्रवर्तनीय अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग करता है; और उसने उस व्यक्ति [जो कि ऐसे यूनिट कंटेनरों में ऐसे ब्राण्ड नेम वाले माल की पैकिंग करता है] को इस बात के लिए प्राधिकृत करता है कि वह ऐसे यूनिट कंटेनरों पर अंग्रेजी और स्थानीय दोनों भाषाओं में तथा न मिटने वाली स्याही से यह मुद्रित कर सकेगा कि ऐसे ब्राण्ड नेम पर वह [जिसके पास ब्राण्ड नेम का अधिकार होगा] ऐसे ब्राण्ड नेम पर अनुयोज्य योग्य दावे या प्रवर्तनीय अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर रहा है।"

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 13th October, 2017

No. 104 /ST-2.— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 11 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 36/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:-

AMENDMENT

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 36/ST-2, dated the 30th June, 2017,-

(A) in the Schedule,-

(i) after serial number 122 and the entries thereagainst, the following serial number and the entries thereagainst shall be inserted, namely: -

"122A	4907	Duty Credit Scrips";

(ii) after serial number 149 and the entries thereagainst, the following serial number and the entries thereagainst shall be inserted, namely: -

"150	-	Supply of goods by a Government entity to Central Government, State Government, Union territory, local authority or any person specified by Central Government, State Government, Union territory or local authority, against consideration received from Central Government, State Government, Union territory or local authority in the form of grants";

(B) in the *Explanation*, after clause (iv), the following clause shall be inserted, namely:-

"(v) The phrase "Government Entity" shall mean an authority or a board or any other body including a society, trust, corporation, which is:

(a) set up by an Act of Parliament or State Legislature; or

(b) established by any Government,

with ninety percent or more participation by way of equity or control, to carry out a function entrusted by the Central Government, State government, Union territory or a local authority.

(C) in ANNEXURE I,--

(i) in clause (b) for the sign "." existing at the end, the sign ":" shall be substituted;

(ii) after point (b), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that if the person having an actionable claim or enforceable right on a brand name and the person undertaking packing of such goods in unit containers are two different persons, then the person having an actionable claim or enforceable right on a brand name shall file an affidavit to that effect with the jurisdictional Commissioner of State tax of the person undertaking packing of such goods that he is voluntarily foregoing his actionable claim or enforceable right on such brand name as defined in Explanation (ii)(a); and he has authorised the person [undertaking packing of such goods in unit containers bearing said brand name] to print on such unit containers in indelible ink, both in English and the local language, that in respect of such brand name he [the person owning the brand name] is voluntarily foregoing the actionable claim or enforceable right voluntarily on such brand name."

SANJEEV KAUSHAL,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Excise and Taxation Department.

55677–C.S.–H.G.P., Chd.